20

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs.30/-

सन्त कुमार पनिका तनय दालशाह सा0 तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

म0प्र0 राज्य

———अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (कैम्प कोर्ट सीधी) दिंनाक 09.11. 2017 बावत् प्र0क0 144 अपील/2017–2018 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न हैः–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

2– यह कि विवादित भूमि आवेदक की पुस्तैनी स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है जिसे आवेदक से रंजिश रखने वाले एक व्यक्ति मनोहर सिंह की शिकायत पर कलेक्टर स्वमेव निगरानी में तारीख 15.04.2011 को पहली बार शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिसके खिलाफ पुनरीक्षण मामला अपर कमिश्नर के न्यायालय में दायर की गई व तारीख 12.02.2018 को नियत है इसी बीच कथित मनोहर सिंह विचारण न्यायालय में विशेष पैरबी कर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/6201

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राहयता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 144/17–18 अपील में पारित आदेश दिनंक 9–11–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि शासकीय भूमि पर आवेदक व्दारा अतिकमण करने के परिणाम स्वरूप तहसील न्यायालय में आवेदक के विरूद्व अतिकमण प्रकरण पॅजीबद्व हुआ है एंव जांच तथा सुनवाई के वाद आदेश दिनांक 26–10–2016 पारित करके आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल करने के आदेश हुए है। आवेदक ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26–10–16 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, देवसर के समक्ष अपील की थी, जो प्रकरण कमांक 17/16–17 अपील पर पंजीबद्व होकर सुनवाई के वाद आदेश दिनांक 12–6–17 से निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 144/17–18 अपील में पारित आदेश दिनंक 9–11–17 से अपील निरस्त की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है। 3/ निगरानी प्रकरण की ग्राह्यता पर सुनवाई के दौरान आवेदक के अभिभाषक यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं अथवा ऐसा कोई अभिलेख	

प्रस्तुत नहीं कर सके हैं शासकीय भूमि पर कब्जा करने एंव खेती करने का स्वत्व उन्हें किन आधारों पर है। इसके विपरीत भूमि शासकीय है जिसके कारण तहसील न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–10–16 में अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने हस्तक्षेप नहीं किया गया है। विचाराधीन निगरानी सारहीन है जिसके कारण प्रचलन–योग्य न पाये जाने से ग्राह्यता के स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य